`

प्रेस विज्ञप्ति

28.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (पहले मेसर्स साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था), मेसर्स माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सीज़र बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मामले के संबंध में 27.06.2025 को 557.43 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में सेक्टर 68, सेक्टर 63ए, सेक्टर 103, सेक्टर 104 और सेक्टर - 92, सेक्टर - 88बी और सेक्टर - 95 गुरुग्राम में स्थित 7 अचल संपत्तियां (लगभग 35 एकड़ की आवासीय और वाणिज्यिक भूमि) और विभिन्न कंपनियों से संबंधित लगभग 97 लाख रुपये की सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने गुरुग्राम पुलिस द्वारा मेसर्स साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोपों में बाहरी और आंतरिक विकास कार्यों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फर्जी बैंक गारंटी सहित जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल है। यह धोखाधड़ी गतिविधि गुरुग्राम के सेक्टर 68, 103 और 104 में वादा किए गए किफायती आवास परियोजनाओं के संबंध में की गई थी, जहां कंपनी ने 3700 घर खरीदारों से 616 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए। हालांकि, कंपनी वादा किए गए समय सीमा के भीतर घर देने में विफल रही और धन का दुरुपयोग किया।

ईडी की जांच से पता चला है कि कंपनी ने संबंधित संस्थाओं से फर्जी चालान के जरिए निर्माण लागत को बढ़ाकर धन की हेराफेरी की। कंपनी के निदेशकों और प्रमोटरों ने निजी लाभ के लिए पैसे का हेराफेरी की। इसके अलावा, घर खरीदारों से मिले फंड को भी लोन के तौर पर अन्य ग्रुप संस्थाओं को ट्रांसफर किया गया, जो सालों से बकाया है।

इससे पहले, 15.02.2024 और 26.03.2025 को ईडी ने मेसर्स साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डीएस होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सिकंदर सिंह, धरम सिंह छोकर (पूर्व विधायक), विकास छोकर और मामले से जुड़ी अन्य संबंधित कंपनियों से जुड़ी 81.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की थीं।

इसके अलावा, माहिरा ग्रुप के प्रमोटर सिकंदर सिंह को 30.04.2024 को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में गुरुग्राम की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की गई है और अदालत ने इसका संज्ञान लिया है।

हाल ही में, एक अन्य प्रमुख आरोपी धर्म सिंह छोकर (पूर्व विधायक), जो अपने खिलाफ 6 गैर-जमानती वारंट के बावजूद एक साल से अधिक समय से गिरफ्तारी से बच रहा था, को 05.05.2025 को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अन्य आरोपी विकास छोकर अभी भी फरार है और माननीय अदालत ने विकास छोकर के खिलाफ उद्घोषणा जारी की है और इस संबंध में मामला माननीय विशेष अदालत गुरुग्राम के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

आगे की जांच जारी है।